

दिल्ली विकास प्राधिकरण

दिल्ली विकास प्राधिकरण को सलाहकार समिति की दिनांक 28 फरवरी, 1978 को तीसरे पाठस 3, 30 बजे प्राधिकरण के कार्यालय विकास मीनार, इन्द्रप्रस्था इस्टेट, नई दिल्ली में हुई बैठक की कार्यवाही निम्नलिखित है।

अस्थित :

अध्यक्षता

1. श्री दलीप नारायण कोहली  
एग-रजिस्ट्रार/अध्यक्ष, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

सदस्य (नगर सरकारी)

2. श्री मदन मोहन अवरोल,  
अध्यक्ष, दिल्ली जल प्रदाय एवं मूल व्ययन समिति, दिल्ली ।
3. श्री शिव नारायण सरसूनिया,  
संसद सदस्य (लोक सभा) ।
4. श्री जे०एन० भांडारी,  
सदस्य, नगर निगम दिल्ली ।
5. श्री बक्षी राम,  
सदस्य, नगर निगम दिल्ली ।
6. श्री मेहर वन्द,  
सदस्य, नगर निगम दिल्ली ।
7. श्री मुल्क राज,  
सदस्य, डी०ई०एस०यू० ।
8. श्रीमती सुमित्रा चरत राम ।
9. श्री हरी किशन पाठक ।
10. श्री रतन लाल सहदेव ।

सदस्य (सरकारी)

11. डा०एस०के० गुप्ता,  
हल्धा अधिकारी, नगर निगम दिल्ली ।
12. श्री एम०एस० मेहता,  
चीफ आर्किटेक्ट, नगर निगम दिल्ली ।
13. श्री आर०के० टीगारा,  
अतिरिक्त महाप्रबन्धक (दूरभाष) ।

DELHI DEVELOPMENT AUTHORITY

Minutes of the meeting of the Advisory Council of the Delhi Development Authority on 28th Feb., 1978 at 3.30 P.M. in the office of the D.D.A., Vikas Minar, New Delhi.

Present:

President:

1. Shri D.R. Kohli, Lt. Governor/Chairman, DDA

Members

Non-officials:

2. Shri Madan Mohan Ojrol, Chairman, Delhi Water Supply & Sewerage Disposal Committee.
3. Shri Shiv Narain Sarsonia, Member Parliament (Lok Sabha).
4. Shri J.N. Bhandari, Member, M.C.D.
5. Shri Bakshi Ram, Member, M.C.D.
6. Shri Mehar Chand, Member, M.C.D.
7. Shri Mulkh Raj, Member, Delhi Electric Supply Committee.
8. Smt. Sumitra Charatsam.
9. Shri Hari Krishan Pathak.
10. Shri Rattan Lal Sahdev.

Officials:

11. Dr. S.K. Gupta, Health Officer, M.C.D.
12. Shri M.S. Mehta, Chief Architect, M.C.D.
13. Shri R.K. Dhingra, Additional General Manager (tel. phones).

Secretary

14. Shri Krishna Pratap.

Also present

15. Shri M.N. Buch, Vice-Chairman, DDA.

16. Shri K.R.K. Mehta  
Dy. Director General (D.L.&.C.)  
Ministry of Defence.
17. Brig. Gobindar Singh,  
Addl. Director General (Roads),  
Ministry of Transport & Shipping.
18. Shri S.C. Bhatia,  
Architect, C.P.W.D.

The Council's last meeting was held on 24th April, 1976. The president and members of the Council had changed since then. So, the confirmation of the minutes of the last meeting was not taken up.

2. Since this was the first meeting of the re-constituted Advisory, the members were apprised of the purpose of the Council.

3. The members were informed that several high level meetings had been taken by the Lt. Governor in connection with the preparation of the Second Master Plan of Delhi and that Groups of officials had been formed for drawing up the broad objectives of the Second Master Plan, suggesting methodology in respect of Zonal Development Plans and approach in respect of 'mixed land uses'. Thereafter, the Council had a general discussion about the need for changes in the existing Master Plan and the objects of the Second Master Plan. No specific resolution was, however, passed in this behalf.

4. Other Items, for which members had given notices, could not be discussed.

*Gobindar Singh*  
Secretary,  
Advisory Council,  
Delhi Development Authority

*Chandern*  
President,  
Advisory Council,  
Delhi Development Authority

सचिव

14. श्री कृष्ण प्रताप ।

ये भी उपस्थित

15. श्री एम० एन० बुच,  
आध्यक्षा, दिल्ली विकास प्राधिकरण ।

16. श्री के० आर० के० मेनन,  
अनिदेशक, लेण्ड एण्ड कन्ट्रोलमेंट, रक्षा मंत्रालय, नई दिल्ली ।

17. श्री ब्रिगेडियर गोबिन्द सिंह,  
यातायात मंत्रालय, नई दिल्ली ।

18. श्री एस० सी० भाटिया,  
आर्कीटेक्ट, सी० पी० डब्ल्यू० डी० ।

"परिषद की पिछली बैठक दिनांक 24 अप्रैल, 1976 को हुई थी ।

तत्कालीन अध्यक्ष एवं सदस्य परिवर्तित हो चुके हैं अतः इस बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि नहीं की जा सकती ।

2. क्योंकि यह पुनर्गठित सलाहकार समिति की पहली बैठक थी अतः इस सदस्यों को परिषद के उद्देश्यों से अवगत कराया गया ।

3. सदस्यों ने सूचित किया गया कि दिल्ली की दूसरी मुख्य योजना को तैयार करने के सम्बन्ध में उपराज्यपाल महोदय द्वारा अनेक उच्च स्तरीय बैठके की जा चुकी हैं, और यह कि कर्मचारियों के अंक हलों का गठन, दूसरी मुख्य योजना के विस्तृत उद्देश्यों को तैयार करने, क्षेत्रीय विकास चित्रों के सम्बन्ध में पद्धति सम्बन्धी सुझाव देने और "मिश्रित भूमि प्रयोग" के सम्बन्ध में प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए किया जा चुका है । तत्पश्चात् परिषद में वर्तमान मुख्य योजना में परिवर्तनों की आवश्यकता एवं दूसरी मुख्य योजना के उद्देश्यों के सम्बन्ध में सामान्य चर्चा हुई । वैसे इस सम्बन्ध में कोई विशेष रंकल्प नहीं किया गया ।

4. सदस्यों ने जिन मदों के सम्बन्ध में सूचना दी थी उन मदों पर चर्चा नहीं हो सकी ।